>

Title: Need to implement the reservation policy properly for recruitment of employees to various groups of posts in all the High Courts and in Supreme Court.

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। ...(व्यवधान) आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस है। सब लोगों ने उस पर अपनी बातें कही हैं। जिन लोगों ने बातें कही हैं, मैं उनके साथ अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।...(व्यवधान) मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।...(व्यवधान) न्यायपालिका में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। ...(व्यवधान) मैं जजों की नियुक्ति में आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि न्यायालयों में काम करने वाले ए,बी,सी,डी कैटेगरी के अधिकारियों/कर्मचारियों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।...(व्यवधान) बहुत से ऐसे न्यायालय हैं, हाई कोर्ट ऐसे हैं जहां उन्होंने अपने हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था की है।...(व्यवधान) लेकिन वह पूरी तरह से नहीं है।...(व्यवधान) मुम्बई और दिल्ली हाई कोर्ट ऐसे हैं जहां आरक्षण की व्यवस्था है ही नहीं।...(व्यवधान) बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जहां पर अधिकारों की रक्षा करने के लिए संविधान में दिए हुए प्रावधानों की रक्षा करने और उसमें दखल देने का अधिकार न्यायपालिका को है, वह न्यायपालिका संविधान में दिए हुए अधिकारों का पालन नहीं कर रही हैं जो बहुत चिन्ता की बात है।...(व्यवधान) मैं कानून विधि मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसमें स्पष्ट नीति अपनाएं और उन्हें निर्देश दें। जो मुख्य न्यायधीशों का सम्मेलन है, उसमें भी इसकी चर्चा नहीं हुई है।...(व्यवधान) अनेक ऐसे फोरम गए हैं जहां इस पर चर्चा होनी चाहिए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण जो सरकारी सेवाओं में है, वह न्यायपालिका में भी लागू होना चाहिए।...(व्यवधान)